

प्रेषक,

गौतम पासवान (बि०प्र०से०),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उप निदेशक कल्याण  
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,  
(सारण/सहरसा/शेखपुरा/बक्सर/सीवान/भोजपुर को छोड़कर)  
बिहार।

पटना, दिनांक-

विषय:-“बिहार अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली-२०१०” के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-९६७ दिनांक-२०.०४.१७ एवं पत्रांक-१२०९ दिनांक-०१.०६.१७ के माध्यम से विभागीय अधिसूचना संख्या-५०८ दिनांक-१२.०३.२०१० के द्वारा “बिहार अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली-२०१०” के नियम-६(घ) एवं नियम-८ में किये गये प्रावधानों के आलोक में आपके प्रमंडल/जिला में पदस्थापित जिन प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को हिन्दी-टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा में एक वर्ष के अन्दर बगैर उत्तीर्णता प्राप्त किये प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि एवं बगैर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किये द्वितीय एवं अन्य वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी गई है, का समेकित स्पष्ट प्रतिवेदन (सेवा पुस्त की अभिप्रमाणित प्रति के साथ) उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जो अबतक अप्राप्त है। यह अत्यंत ही खेदजनक है एवं विभागीय आदेश की अवहेलना एवं कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

अतएव पुनः निदेशित किया जाता है कि उक्त के आलोक में विहित प्रपत्र में समेकित स्पष्ट प्रतिवेदन(सेवा पुस्त की अभिप्रमाणित प्रति के साथ) दिनांक-२३.०६.१७ तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा विभागीय आदेश की अवहेलना के आरोप में प्रपत्र-‘क’ गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०:-विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन

(गौतम पासवान)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-०२जी/प्र०क०पदा०(स्था०)-२०-०७/२०१७- 1434 पटना, दिनांक- 20-6-17

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों के वेतन वृद्धि हेतु हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रतिवेदन

क्र०सं०	नाम	पदनाम	योगदान की तिथि मूल वेतन	वेतन वृद्धि की तिथि / मूल वेतन	अधिसूचना संख्या-508 दिनांक-12.03.10 के द्वारा "बिहार अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2010" के नियम 6(घ) एवं नियम 8 के प्रावधानों के आलोक में वेतन वृद्धि हेतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की स्थिति।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

जिला कल्याण पदाधिकारी का हस्ताक्षर